उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–6
संख्या– 147/XXVII(6)/एक/485/2014
देहरादूनः दिनॉकः 05 जून, 2015

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तराखण्ड वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग में वित्त अधिकारी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों की ज्येष्ठता वित्त अनुभाग–6 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 456/XXVII(6)-483-2014/2008 दिनांक 22.07.2014 के द्वारा सम्बन्धित कार्मिकों में परिचालित करते हुये यह अपेक्षा की गयी कि यदि किन्हीं कार्मिकों को उक्त सूची में अनन्तिम रूप से दर्शित अपनी वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो अथवा ज्येष्ठता हेतु संशोधन करने का दावा करना चाहते हो तो वे अपनी आपत्ति/अभिकथन, लिखित प्रत्यावेदन के रूप में, संगत साक्ष्यों/अभिलेखों/विनियमों सहित इस विभाग को इस कार्यालय ज्ञाप के जारी होने के दिनांक से 20 दिन के भीतर उपलब्ध करा दें। इसके अतिरिक्त यदि किसी कार्मिक के नाम व नाम के सम्मुख आपेक्षित संगत विवरण के कोई कॉलम रिक्त हों अथवा उनमें भरी गयी सूचना में कोई त्रुटि हो तो वांछित सूचना भरे अथवा त्रुटि का परिमार्जन किये जाने हेतु अपना अभिकथन साक्ष्यों सहित लिखित तौर पर उपलब्ध करायें यदि किसी अधिकारी द्वारा अनन्तिम वरिष्ठता सूची के विरूद्ध उक्त अवधि के भीतर कोई आपत्ति/प्रत्यावेदन इस विभाग को उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो यह माना जायेगा कि ऐसे कार्मिक उक्त सूची में दर्शित अपनी वरिष्ठता की स्थिति से सहमत हैं तथा वे कोई आपत्ति नहीं करना चाहते है। तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

2– कार्यालय ज्ञाप सं 456/XXVII(6)-483-2014/2008 दिनांक 22.07.2014 के द्वारा परिचालित ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में निर्धारित समयान्तर्गत लगभग 44 अधिकारियों से प्रत्यावेदन /आपत्तियां प्राप्त हुयी। प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण निम्नवत् किया जा रहा हैः–

कमांक	आपत्ति का सार	आपत्ति के निस्तारण के सम्बन्ध में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
श्री रमेश चन्द्र सेमवाल द्वारा अपने प्रत्यावेदन में निम्नवत् अनुरोध किया है :–		
1	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उनसे ऊपर अवस्थित श्रीमती अमिता जोशी को वास्तविक रूप से वित्त सेवा संवर्ग में नियुक्ति के फलस्वरूप सेवा संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित की जाय।	श्रीमती अमिता जोशी का चयन सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा 1990 के क्रम में जिला समादेष्टा होमगार्ड के पद पर हुआ, जिसमें उनके द्वारा 1.10.1994 को कार्यभार ग्रहण किया गया। उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में उक्त परीक्षा का संशोधित परीक्षाफल घोषित किया गया। जिसमें श्रीमती

		अमिता जोशी का नाम कोषाधिकारी/लेखाकार के पद पर सातवे स्थान पर तथा श्री रमेश चन्द्र सेमवाल का नाम 29 वें स्थान पर अंकित है। उ0प्र0 के शासनादेश संख्या एस–2–3819/10–2006–33(46)/01 टी0सी0–1 दिनांक 25.01.2002 के क्रम में श्रीमती जोशी को कार्यालय आदेश संख्या 454/XXVII(6)/2010 दिनांक 10.11.2010 के द्वारा जिला समादेष्टा होमगार्डस के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि दिनांक 01.10.1994 से परिकल्पित मानते हुये समस्त परिणामी लाभ प्रदान किये गये हैं। अतः श्री सेमवाल की वरिष्ठता श्रीमती जोशी के ऊपर निर्धारित किये जाने का कोई आधार नहीं है। अतः आपत्ति अग्राह्य की जाती है।
	श्री पी0सी0 खरे द्वारा अपने प्रत्योवदन में निम्नवत् अनुरोध किया है :–	
2	वरिष्ठता सूची में कमांक–22 पर अवस्थित श्री खरे की ज्येष्ठता कमांक–21 पर अंकित श्री जीवन चन्द्र जोशी के साथ चकानुकम में निर्धारित की जाय।	श्री जीवन चन्द्र जोशी एवं श्री पी0सी0 खरे दोनों अधिकारी पूर्ववर्ती राज्य उ0प्र0 के समय नियुक्त हुये हैं तथा उनकी पारस्परिक वरिष्ठता पूर्व में निर्धारित हो चुकी है। उ0प्र0 वरिष्ठता सूची के अनुसार श्री पी0सी0 खरे का नाम श्री जीवन चन्द्र जोशी के नीचे है। नया राज्य बनने के उपरान्त दोनों अधिकारी उत्तराखण्ड में आवंटित हो जाने के फलस्वरूप उनकी पारस्परिक वरिष्ठता पूर्ववत्त ही बनी रहेगी। अतः आपत्ति अग्राह्य की जाती है।
	श्री विक्रम सिंह जन्तवाल, श्रीमती रूचिता तिवारी एवं श्रीमती पूनम सोबती द्वारा अपने प्रत्यावेदन में निम्नवत् अनुरोध किया है :–	
3	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के कमांक–30–34 में अकित अधिकारियों द्वारा अपने नाम के सम्मुख बैच वर्ष 2002 अंकित किया जाय।	सीधी भर्ती के अधिकारियों का बैच जिस वर्ष विज्ञापन निकाला हो, उस वर्ष का नहीं होता है। बल्कि उस वर्ष का होता है, जिस वर्ष आयोग की संस्तुति शासन को प्राप्त हुयी हो तथा मौलिक नियुक्ति हुयी हो। अतः आपत्ति ग्राह्य नहीं है।
	श्री विवेक स्वरूप द्वारा अपने प्रत्यावेदन में निम्नवत् अनुरोध किया है :–	

4	उन्हें श्री भूपेन्द्र प्रसाद काण्डपाल से उपर रखा जाय।	प्रत्यावेदक के कथन की लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेखों से पुष्टि किये जाने पर कथन सही पाया गया। अतः आपत्ति स्वीकार करते हुये तद्नुसार प्रत्यावेदक का नाम श्री भूपेन्द्र प्रसाद काण्डपाल से उपर अंकित कर दिया गया है।
	श्रीमती पूनम सोबती द्वारा अपने प्रत्यावेदन में निम्नवत् अनुरोध किया है :–	
5	उनका नाम संशोधित करते हुये श्रीमती पूनम सिंह सोबती अंकित किया जाय।	प्रत्यावेदक के कथन के आधार पर लोक सेवा आयोग के अभिलेखों से मिलान करते हुये उनका नाम श्रीमती पूनम सोबती अंकित कर दिया गया है। जहां तक सिंह अंकित किये जाने का प्रश्न है। प्रत्यावेदक द्वारा पृथक से आवेदन दिये जाने के उपरान्त नियमों के क्रम में ही अंकित किया जा सकता है। इस सीमा तक ही आपत्ति ग्राह्य है।
	श्री विक्रम सिंह जन्तवाल द्वारा अपने प्रत्यावेदन में निम्नवत् अनुरोध किया है :–	
6	शैक्षिक योग्यता संशोधित कर पी.जी.डी.सी.ए. एवं पी.जी.डी.एम. (सी.एफ.एम.) अंकित की जाय।	आपत्ति ग्राह्य पाते हुये प्रत्यावेदक के कथन एवं उपलब्ध कराये गये अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर प्रत्यावेदक के नाम के सम्मुख कॉलम–5 में शैक्षिक योग्यता पी.जी.डी.सी.ए. एवं पी.जी.डी.एम. (सी.एफ.एम.) अंकित किया गया।
	श्रीमती रूचिता तिवारी द्वारा अपने प्रत्यावेदन में निम्नवत् अनुरोध किया है :–	
7.	शैक्षिक योग्यता के कॉलम में एम0एस0सी0 दर्शित है। जबकि मेरी शैक्षिक योग्यता एम0एस0सी0 (गणित), बी0एड0 तथा सर्टिफिकेट इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन है। अतः तद्नुसार सही शैक्षिक योग्यता अंकित की जाय।	प्रत्यावेदक के कथन व उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर प्रत्यावेदक की आपत्ति ग्राह्य पायी गयी है। अतः श्रीमती तिवारी के नाम के सम्मुख कॉलम पांच में शैक्षिक योग्यता एम0एस0सी0 (गणित), बी0एड0 तथा सर्टिफिकेट इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन अंकित कर दी गयी है।
	सुश्री शिवानी भौर्याल, श्रीमती स्मृति खण्डूरी, श्री रौमिल चौधरी, श्री हेमेन्द्र प्रसाद गंगवार, मौ0 तन्जीम अली, श्री लखेन्द्र गोथियाल एवं कु0 हिमानी स्नेही द्वारा अपने प्रत्यावेदनों में निम्नवत् अनुरोध किया है :–	
8.	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक– 45–61 में दर्शित वित्त अधिकारियों की चयन वर्ष 2009–10 में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हुयी है, को चयन वर्ष 2009–10 में	सीधी भर्ती की उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष नियुक्तियां भर्ती वर्ष 2009–10 में हुई तथा पदोन्नति के माध्यम से कार्मिकों की नियुक्ति भी भर्ती वर्ष 2009–10 में हुई है। अतः एक ही चयन